

प्रशान्त कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश



परिपत्र सं०-२९/२४
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०

सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ - 226002
फोन नं.:0522-2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522-2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई-मेल : police.up@nic.in
वेबसाइट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: जून १४, 2024

प्रिय महोदय/ महोदया,

प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों एवं आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से "त्रिनेत्र एप" विकसित किया गया है, जिसके पोर्टल पर अपराधियों का आपराधिक विवरण आनलाइन फीड करने हेतु इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में दिनांक 12.01.2024 को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये थे, परन्तु कतिपय जनपदों को इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

2- अपराधों में संलिप्त अपराधियों का "त्रिनेत्र एप" में डाटा अद्यावधिक किये जाने हेतु निम्नांकित कार्यवाही तत्काल किया जाना आवश्यक है:-

- 1- अनावरित किये गये अपराधों में संलिप्त अपराधियों का थाना स्तर पर तत्परता से डाटा अद्यावधिक किया जाये।
- 2- संलिप्त अपराधियों का आपराधिक इतिहास "त्रिनेत्र एप" में अविलम्ब अद्यावधिक कर दिया जाये।
- 3- महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित अपराध में संलिप्त अपराधियों का डाटा "त्रिनेत्र एप" में अवश्य अद्यावधिक कर दिया जाये।
- 4- सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में यथा लूट, डकैती, नकबजनी आदि में सम्मिलित अपराधियों का डाटा प्राप्त कर उनकी गतिविधियों को सर्विलांस के माध्यम से लगातार मानीटरिंग की जाये।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का क्रियान्वयन तत्परता से कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ नियुक्त राजपत्रित अधिकारी/थाना प्रभारियों को अवगत कराते हुये अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

दाहशान्ति

भवदीय,

28.6.24
(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश। (नाम से)
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद / रेलवेज, उत्तर प्रदेश। (नाम से)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक(STF), उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ०प्र० लखनऊ।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।